उपायुक्त, गुरूग्राम।

सेवा में,

M/s Countrywide Promoters Private Limited.,
OT-14, 3rd Floor, Next Door, Parklands, Sector-76,
Faridabad.

क्रमांक 116 / एम०बी०

दिनांक : २२ ७४ २०२५

विषय:- Verification regarding applicability of Aravali notification for Expansion of Residential Plotted Colony from 133.70525 acres to 143.60825 acres (additional 9.903 acres) located at Sector 102 & 102A at Village Dhankot & Kherkimajra District Gurugram being developed by M/s Countrywide Promoters Pvt. Ltd.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, कादीपुर व उप वन संरक्षक, गूरूग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:--

नायब तहसीलदार, कादीपुर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 636 / रीडर दिनांक 02.08.2024 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रेषित की है। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौजा खेड़की माजरा (धनकोट) के मु0 / कीला नं0 58//3(8-0), 63//13/1/2/1/1(1-1), 1/2/3(1-16), 2/1/1/2(4-12), 59//10(8-0), 11/1(5-13), 54//23/1(4-0), 63//1/1/2(1-2), 62//15/2/1(0-15) कुल रकवा 34 कनाल 19 मरला वा मौजा धनकोट के मु0 / कीला नं0 57//9/3/1(0-2), 10/3/2(0-5), 1/1/1 (3-1), 10/2/1(0-5), 10/2/3(1-2), 58//5/2/1(1-19), 5/2/3(0-12), 6/1/2(7-2), 7/1(1-0), 57//19/2/1(4-4), 19/2/3(0-3), 13/1(5-16), 14/1(3-8), 58/15/1(5-16), 57//21(8-0), 57//1/1/2(0-3), 10/2/2(1-12), 58//5/2/2(2-7), 6/1/1(0-9), 57//10/3/1(0-4), 9/3/2(0-1), 57//19/2/2(2-14), 17/1(1-9), 19/3(0-4), 20/1(1-3), 55//25/2(5-11), 58//5/1(3-2) कुल रकबा 60 कनाल 14 मरला की प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकार्ड से अवलोकन करने उपरान्त मांगी गई रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है:--

- प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं0 दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
- 2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी जरई की किस्म गैर मुमकिन पहाड़, गैर मूमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड़, बंजड़ बीहड या रूद्र नहीं रही है।
- दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात अराजी जरई की किस्म चाही है।
- 4. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं० मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामलात देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
- अराजी मुतनाजा का अनुसार राजस्व रिकार्ड किसी माननीय न्यायालय में कोई भी केस का इन्द्राज दर्ज नहीं है।
- उपरोक्त अराजी भूमि NCZ (National Conservation Zone), SEZ (Special Economical Zone) में नहीं आती है।
- प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान पर कोई रहन, आड़ रहन, धारा 4 6 व अवार्ड आदि दर्ज नहीं है।
- 8. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की मलकियत मौजा धनकोट अराजी जरई मु0 / कीला नं0 57//9/3/1(0-2), 10/3/2(0-5), 1/1/1(3-1), 10/2/1(0-5), 10/2/3(1-2), 58//5/2/1(1-19), 5/2/3 (0-12), 7/1(1-0), 6/1/2(7-2) बिजेन्द्र सहरावत — जितेन्द्र सिंह सहरावत पुत्रान महेन्द्र सिंह पुत्र रज्जो हर दो समभाग मालिक व काबिज है। व अराजी मु0 / कीला नं0 57//19/2/1(4-4), 19/2/3(0-3), 13/1(5-16), 14/1(3-8) के सतपाल — राजकुमार पुत्रान रघुनाथ मालिक व काबिज है। व अराजी जरई मु0 / कीला नं0 57//21(8-0), 58//15/1(5-16) में मैगा इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा0लि0 मालिक व काबिज है। व

प्रेषक.

अराजी जरई मु0 / कीला नं0 57//1/1/2(0-3), 10/2/2(1-12), 58//5/2/2(2-7), 6/1/1(0-9), 57//10/3/1(0-4), 9/3/2(0-1), 19/2/2(2-14), 17/1(1-9), 19/3(0-4), 20/1(1-3), 55//25/2(5-11), 58//5/1(3-2) की मै0 कन्ट्रीवाईड प्रोमोटर्स प्राoलि0 राजस्व रिकार्ड अनुसार मालिक व काबिज है।

व अराजी जरई मौजा खेड़की माजरा (धनकोट) की अराजी कीला नं0 58//3(8-0) के मै0 प्रेसीजन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 22/574 भाग व मै0 मेगा इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा0लि0 552/574 भाग के मालिक व काबिज है। व अराजी जरई मु0/कीला नं0 63//13/1/2/1/1(1-1), 1/2/3 (1-16), 63//2/1/1/2(4-12) की मै0 मेगा इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा0लि0 मालिक व काबिज है। व मोहिन्दर सिंह – रणबीर सिंह – सत्यभान – सुरेन्द्रपाल – चन्दरभान पुत्रान रिसाल सिंह पुत्र खेमा 5/7 भाग श्रीमती सन्तरा देवी विधवा व ज्ञानप्रकाश – जयवीर सिंह – जसवीर सिंह पुत्रान रामचन्द्र पुत्र रिसाल सिंह 1/7 भाग व नरेन्द्रपाल – नरेश कुमार पुत्रान सुन्दरपाल पुत्र रिसाल सिंह 1/7 भाग मु0/कीला नं0 59//10(8-0), 11/1(5-13), 54//23/1(4-0) के मालिक व काबिज है। व अराजी जरई मु0/कीला नं0 63//1/1/2(1-2) में मै0 बी0पी0टी0पी0 लि0 35/40 भाग सरस्वती कुंज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 5/40 भाग के मालिक व काबिज है। व अराजी जरई मु0/कीला नं0 62//15/2/1(0-15) में मै0 बी0पी0टी0पी0 लि0 मालिक व काबिज है। व

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 681-G दिनांक 21.06.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 24.05.2024 (M/s Countrywide Promoters Pvt. Ltd.) को गांव खेड़की माजरा धनकोट, जिला गुरूग्राम के 6.0756 एकड़ एरिया की तथा दिनांक 24.05.2024 को गांव धनकोट, जिला गुरूग्राम के 3.9465 एकड़ एरिया की फॉरेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant Mr. Ramanjit Sahni, M/s Countrywide Promoters Pvt. Ltd., having Rectangle No./Murba No./Rect. No. 63/13/1/2/1/1(1-1-0), 1/2/3(1-16-0), 2/1/1/2(4-12-0), 1/1/2(1-2-0), 58//3min(4-17-0), 62/15/2/1(0-15-0), 54//23/1min(3-15-4), 59/10(8-0-0), 11/1(5-13-0) Land Measurements 3.9465 (Acre) Land Location Village Kherki Majra Dhankot, Gurugram And Rectangle No./Murba No./Rect. No. 58/15/1(5-16-0), 5/1min(1-15-0), 5/2min(2-10-5), 6/1min(7-1-5), 7/1(1-0-0), 6/2(0-9-0), 57//21min(4-9-0), 17/1(1-9-0), 19/3min(0-1-0), 20/1min(0-1-4), 13/1(5-16-0), 14/1(3-8-0), 19/2min(4-7-2), 1/1min(3-1-0), 10/2min(0-17-0), 9/3min(0-2-0), 10/3min(0-17-0), 9/3min(0-2-0), 10/3min(0-5-0), 55//25/2min(5-4-3) Land Measurements 6.0756 (Acre) Land Location Village Dhankot, Gurugram {(Total Land 3.9465 Acre + 6.0756 Acre)} made a proposal to use this land for Setting Up Of Township. It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- C) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/ regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. M/s Countrywide Promoters Private Limited whose land is located at Village/City Kherki Majra Dhankot & Dhankot, District Gurugram must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.

- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To The Conditions Mentioned Above And Distance of the Proposed Site Is Less Than 5 Km. From Delhi Boundary. Hence, Necessary Permission Must Be Obtained From Competent Authority.

अतः आपको Village Dhankot & Kherkimajra, Sector 102 & 102A, District Gurugram की उक्त भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट नायब तहसीलदार, कादीपुर व उप वन संरक्षक, गुरूग्राम की रिपोर्ट में वर्णित शर्तो अनुसार जारी की जाती है तथा प्रार्थी कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया जाता है तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रदद समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वर्णित भूमि पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पूर्व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट मे दर्शाई गई शर्त अनुसार Competent Authority से अनुमति लेकर इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करे क्योंकि Distance of the Proposed Site Is Less Than 5 Km. From Delhi Boundary. Hence, Necessary Permission Must Be Obtained From Competent Authority, अन्यथा सम्बन्धित किला नम्बरान की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रदद समझी जावेगी।

कृतेः उपायुक्त्, गुरूग्राम।